न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
11 / 2013 / प्रा.पत्र / 2013	21.06.2013	16.05.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

घी विक्रेता श्री शिवजी लाल यादव पुत्र श्री बजरंग लाल यादव निवासी ग्राम तारण वार्ड नं. 19 सवाईमाधोपुर रोड टोंक जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)की उप धारा 2(ii) दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2– अभिभाषक अप्रार्थी श्री जितेन्द्र कुमार जैन।

दिनांक 16.05.2022

:–**निर्णय**–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.11.2012 को समय 01:00 पी.एम. पर ग्राम तारण वार्ड नं. 19 सवाईमाधोपुर रोड जिला टोंक पहुंचा। वहाँ श्री शिवजी लाल यादव पुत्र श्री बजरंग लाल यादव अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को मालिक होना बताया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में एल्युमिनियम की टंकी में लगभग 15– 16 किलोग्राम **घी** रखा हुआ था, जिसे देखने पर मिलावट की शंका होने पर श्री शिवजी लाल यादव को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री शिवजी लाल यादव व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, कुल 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **घी** 2 किलोग्राम को बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखे कांच की शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

भरकर प्रत्येक कांच की शिशियों को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–394 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री शिवजीलाल यादव तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–394 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/4366 दिनांक 26.12.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/796/एफएसएसए/2012/790 दिनांक 20.11.2012 के अनुसार विक्रेता श्री शिवजी लाल यादव से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गय **घी** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का **घी** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 28.05.2015 को एडवोकेट श्री जितेन्द्र कुमार जैन द्वारा वकालतानामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। इसके बाद जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिए गए किन्तु उन्हें 47 अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **अवमानक (Sub-standard)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री शिवजी लाल यादव पुत्र श्री बजरंग लाल यादव निवासी ग्राम तारण वार्ड नं. 19 सवाईमाधोपुर रोड टोंक जिला टोंक पर शास्ति रूपये 1,50,000 (अक्षरे एक लाख पचास हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम आलकी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0